Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 15-2017/Ext. चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी, 2017
(4 माघ, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19).	1
	2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20).	2
	3. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21).	3
	4. हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22).	4
	5. हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23). (केवल हिन्दी में)	5
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का0 आ0 13/पं0 अ0 17/1887/धा0 5/2017, दिनांक 24.1.2017 – अधिसूचना संख्या का0आ0 49/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016 में संशोधन करने बारे।	275–276
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2017

संख्या लैज. 23/2016.– दि पेमॅन्ट आफ वेजइज (हरियाणा अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 जनवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1936 के केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 1 का संशोधन

2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उप–धारा (6) का लोप कर दिया जाएगा।

1936 के केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 6 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के परन्तुक में,–

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक स्थापना विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके नियोजक उसमें नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय या तो चैक द्वारा या उनके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके कर सकेंगे।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2017

संख्या लैज. 24/2016.– दि हरियाणा ले'जिस–लॅ–टिव ॲसे'मब्लि (फॅसिल्–इटिज़ टु मेम्बरज) ॲमे'न्डमेन्ट ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 जनवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20

हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2016

हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) अधिनियम, 1979, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1979 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के खण्ड (क) में,–

(क) उप–खण्ड (i) में, ''या'' शब्द के स्थान पर, ''और'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) उप–खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ii) अपने गृह की बड़ी मुरम्मत, परिवर्धन अथवा परिवर्तन कराने के लिए अधिकतम दस लाख रूपये तक :

परन्तु गृह निर्माण अग्रिम की ओर बकाया मूल राशि पचास लाख रूपये से अधिक नहीं हैं ''

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2017

संख्या लैज. 25/2016.– दि हरियाणा ले'जिस–लॅ–टिव ॲसे'मब्लि (सैलॅरि, ॲलाउ'ॲन्सिज एण्ड पेंशन आफ मेम्बरज) ॲमे'न्डमेन्ट ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 जनवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2016

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन) अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2क में, ''तीस हजार रूपये'' शब्दों के स्थान पर, ''चालीस हजार रूपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। — 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 2क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3क में, ''तीस हजार रूपये'' शब्दों के स्थान पर, ''साठ हजार रूपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। — 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3ख में, ''पांच हजार रूपये'' शब्दों के स्थान पर, ''दस हजार रूपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। — 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3ख का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3ग में, ''दस हजार रूपये'' शब्दों के स्थान पर, ''पच्चीस हजार रूपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। — 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3ग का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के उप–खण्ड (ख) के उप–खण्ड (ii) में, ''प्रति दिन एक हजार पांच सौ रूपये'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी मास में अधिकतम पन्द्रह दिन के लिए प्रति दिन दौ हजार रूपये'' शब्द प्रथम सितम्बर, 2016 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे। — 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 5 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (2) तथा (3) में ''टेलीफोन'' शब्द के स्थान पर, क्रमशः ''टेलीफोन तथा एक मोबाइल फोन'' शब्द प्रतिस्थापित कए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। — 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 6 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) में ''दो लाख रूपये'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन लाख रूपये'' शब्द प्रतिस्थापित कए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। — 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 7क की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा। — 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7क का संशोधन।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2017

संख्या लैज. 26/2016 .—दि हरियाणा स्टेट ले'जिस्—ले—चॅ (प्रिवे'न्—शॅन ऑव़ डिस्क्वॉलिफिकेशॅऩ) ॲमे'न्डमेन्ट ऐक्ट, 2016 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 जनवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22

हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2016

हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1974 के हरियाणा अधिनियम 41 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (2) में,—

(i) खण्ड (ग) में, अन्त में विद्यमान ''I'' चिह्न के स्थान पर '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे तथा क्रमशः प्रथम जून, 1975 तथा 14 जून, 2016 से जोड़े गए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

''(घ) विपक्ष का नेता;

(ङ) सरकारी मुख्य सचेतक।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2017

संख्या लैज. 27/2016.– दि हरियाणा राईट टु सॅःव्इस (ॲमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 12 जनवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23

हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2016

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

2014 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 5 का संशोधन।

2. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 उप–धारा (4) में,–

(i) अन्त में विद्यमान ''I'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यदि पदाभिहित अधिकारी आवेदन प्राप्त करने से इन्कार करता है या पावती जारी करने से इन्कार करता है, तो पात्र व्यक्ति आवेदन में ऐसा करने के कारणों को कथित करते हुए अपना आवेदन प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है, जो उसे पदाभिहित अधिकारी को अग्रेषित करेगाः

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में अधिसूचित समय सीमा उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित पूर्ण आवेदन प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।''।

2014 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (2) के तृतीय परन्तुक में, ''साठ दिन'' शब्दों के स्थान पर ''तीस दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2014 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 में,–

(i) विद्यमान परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''I'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किया गया पुनरीक्षण, पुनरीक्षण की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

54961—L.R.—H.G.P., Chd.